

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक:-एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 5055

दिनांक: 29/9/2022

**कार्यकारिणी समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवाही विवरण**

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की षष्ठम बैठक शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2022 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	संबंधित अधिकारी
1.	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम में से चयनित 10 स्थानों के एटीएम को पुनः चालू करने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही को शीघ्र पूरा करके इसकी व्यवहार्यता से संबंधित रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।	विशेषाधिकारी (यूआईडी), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग
2.	I. प्रत्येक राजस्व ग्राम विशेषतः दूर-दराज के गाँवों में जहाँ ई-मित्र केन्द्र स्थापित नहीं है, ऐसे गाँवों में ई-मित्र केन्द्र स्थापित कराने है। II. प्रत्येक जिलों में उपलब्ध आधार केन्द्रों को ऐसे ब्लॉक/ग्राम पंचायतों से मैपिंग किया जाये, जहाँ पर आधार केन्द्र नहीं है या जहाँ आधार केन्द्र स्थापित किया जाना व्यवहारिक (Feasible) नहीं है, ताकि ऐसे क्षेत्रों के आमजन को आधार नामांकन/अपडेशन हेतु घर के नजदीक सुविधा प्राप्त हो सके। इन निर्णयों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ये एजेण्डा बिन्दु रखे जाने है।	तकनीकी निदेशक (ई-मित्र), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग एवं विशेषाधिकारी (यूआईडी), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग
3.	डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में सुधार हेतु वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित कराने के लिए डीबीटी भारत मिशन टीम के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करें।	संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
4.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण में रिक्त चल रहें तकनीकी कार्मिकों के पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु शासन सचिव, आयोजना की ओर से प्रमुख शासन सचिव, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग को अर्द्ध-शासकीय पत्र जारी किया जाना है।	संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
5.	जन आधार नामांकन/अद्यतन के द्वितीय स्तर के सत्यापन से संबंधित सत्यापक अधिकारियों की एस.एस.ओ. आई.डी. में जन आधार नामांकन/अद्यतन को अप्रूव (Approve)/निरस्त (Reject) करने के विकल्प में 20-20 प्रकरणों के समूह में एक ही ओटीपी/e-Sign से सत्यापन के प्रावधान की व्यवस्था की जानी है।	तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि.
6.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के यू.ओ. नोट दिनांक 11.07.2022 के क्रम में ग्रामीण विकास की योजनाओं के डेटा का भारत सरकार व राजस्थान सरकार के मध्य आदान-प्रदान हेतु जन आधार के वांछित डेटा उपलब्ध कराने हेतु इसका प्रमुख शासन, वित्त व मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
7.	जन आधार में भूधारक श्रेणी- लघु/सीमान्त किसान के निर्धारण हेतु राजकॉम्प (जन आधार) की तकनीकी टीम एवं राजस्व विभाग की टीम एक संयुक्त बैठक कर उचित प्रक्रिया का प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा इस प्रस्ताव पर अनुमोदन राजस्व विभाग द्वारा दिया जाकर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना है।	राजस्व विभाग एवं तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि.

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

  
(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)


सदस्य सचिव

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा  
पदेन अतिरिक्त महानिदेशक

क्रमांक:—एफ.17(8)22/डीईएस/रा.ज.आ.यो./का.स. बैठक/2020/5051-78 दिनांक: 29/9/2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
7. विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
11. निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
14. विशेषाधिकारी, यूआईडी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक, आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. एस.ए. (संयुक्त निदेशक), जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
17. एसीपी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
19. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
20. एसीपी, मुख्यालय, जयपुर।
21. उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर।
22. सहायक निदेशक (डीबीटी), मुख्यालय, जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 14-09-2022  
को आयोजित षष्ठम बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री सुशील कुमार कुल्हरी, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
2.	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
3.	श्री राजेन्द्र विजय, आयुक्त, भू-प्रबंध, शासन सचिवालय, जयपुर।
4.	श्री अरुण कुमार हसीजा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5.	श्री विवेक कुमार, विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
6.	श्री अरुण चौहान, निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
7.	श्री आर. एल. सोलंकी, तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड।
8.	श्री आर. के. शर्मा, तकनीकी निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10.	श्री मुकेश कुमार शर्मा, एस.ए. (संयुक्त निदेशक), जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
11.	श्री हरीसिंह जाटव, उप निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
12.	श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
13.	श्री मुकेश कुमार वर्मा, एसीपी, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एसीपी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
15.	श्री विजेन्द्र जाट, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
16.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
17.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
18.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।